

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

अंचल अ. वाद सं०.....382/201612.....

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
25/11/24	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पटित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>754</u>.....थाना नं० <u>346</u>.....खाता सं० <u>99</u>.....प्लॉट सं० <u>1225</u>.....रकबा..... <u>2.66</u>.....एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म.....अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०.....के पृष्ठ सं०.....पर जमाबंदी रैयत <u>37 जमीन किस्म का 20 फरज 5/0</u> <u>महुदी</u>.....के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक <u>25/2/24</u>.....को उपस्थापित करें।	

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि के उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में.....

.....समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 25/3/27 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा..... रकबा 2.66..... किस्म..... खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक

खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि..... खता सं 0.99..... लॉट सं 0.1225..... रकबा 2.66..... किस्म..... खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं 0..... को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

16.5.27
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - हनुमानगढ़, पंजाब

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :- 387/2016-17

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
<u>अजीमगिया पोडफजाम</u>	<u>मशवा</u>	<u>340</u>	<u>99</u>	<u>1225</u>	<u>2.66</u>	<u>अजीमगिया/मशवा</u>	<u>अजीमगिया</u>
<u>पिता सरफुद्दीनगिया</u>			<u>80</u>	<u>1650</u>	<u>0.22</u>	<u>सम्राट</u>	<u>जमीन/मशवा</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :-
परती

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :-
11.54³/₄ b.

पंजी II में दर्ज नहीं है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-
पंजी II में दर्ज करने वाले पदा. / कर्मचारी का हस्ताक्षर/नाम दर्ज नहीं है

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- दर्ज नहीं है

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :- परिपत्र के लिए जांचकर्ता आत्म में दर्ज नहीं है

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनाम में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :- NA

अंचल अर्थसचिव
उपकर-याकुपंजी

उपलब्ध चातुपंजी

五

नहीं

नही

नहीं

बही

निर्देशन :- 

Handwritten signature: *[Signature]*

42

उपायुक्त,
पलामू ।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- अजीम मियाँ व अजरजाम पिता सख्तोस मियाँ
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 4 पृष्ठ सं. 205 पर कायम है

मोजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
मवा	340	99	1225	2.66 8
		80	1650	0.22
		80	1681	0.02

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :-

94	1270	8.64
96	1589	0.04
98	1423	0.07
96	1467	0.32
96	1468	0.03 3/4
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :-
(पंजा 1109 में मजानमा भासिक कोष रैयति)
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- 11.54 3/4
हर्जवही है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी 11 में दर्जवही है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

अंचल कार्यालय में उपलब्ध चालु पंजी 11 से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
81	1280486	11/10/2007	2007-2008
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

कलम

(13)

अंचल, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

यस जमिंदारी सं० ३४७ / २०१६-१७ (अन्तर्गत धारा ४(h). BLR Act, १९५०)

सूचना

अजीम मिश्रा पिता सरपुदडी मिश्रा

राज-गडवा केस ६२८४

जिला - पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा रुडवा थाना नं०.....
खाता सं० ९९ खेसरा नं० १२२९ रकबा ॥ ७३ से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० १०१ के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक २९-०२-२०२५ को समय ११:०० बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-१, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचने हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।

(Signature)



(Signature)
अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।